

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

नॉन स्लम के 2240 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों में से 741 हितग्राहियों ने फ्लेट हेतु जमा कराये 6⁴⁰ करोड़

रतलाम 18 अप्रैल । नॉन स्लम क्षेत्र के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदनों में से पात्र पाये गये 2240 हितग्राहियों से हितग्राही अंशदान 3⁵⁰ लाख या हितग्राही अंशदान की 10 प्रतिशत पंजीयन राशि 35⁰⁰⁰६. जमा कराये जाने हेतु 5 से 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी जिसके तहत 18 अप्रैल तक 121 हितग्राहियों ने हितग्राही का संपूर्ण अंशदान 3⁵⁰६००० करवाते हुए 4 करोड़ 23 लाख 50 हजार व 620 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही अंशदान का 10 प्रतिशत 35⁰⁰⁰ जमा करवाते हुए 2¹⁷६०००० की राशि जमा करवाई इस प्रकार कुल 6 करोड़ 40 लाख 50 हजार की राशि जमा कराई।

18 अप्रैल सोमवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 18 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 18 अप्रैल सोमवार को 111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

18 अप्रैल सोमवार को डम्पर से 29185 किलोए टे^३क्टर से 13055 किलोए मैजिक सूखा कचरा 45785 किलोए मैजिक गीला कचरा 23860 किलोए सेनेटरी कचरा 3

किलोए घरेलू हानिकारक कचरा 3^ण किलो इस तरह कुल 111891^ण किलो कचरा जुलवानिया टे^ठ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 11^ण68 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 18 अप्रैल । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 18 अप्रैल को कुल राशि रूपये 11^ए68^ए630^६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 18 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 300067^ए वसूली दल 141000 कुल 441067^ए जलकर कार्यालय से 446150^ए वसूली दल 120800 कुल 566950^ए स्पॉट फाईन 14000^ए लायसेंस 1500^ए दुकान.गुमटी किराया कार्यालय 48556^ए वसूली दल 10240 कुल 58796 व लीजरेंट 86317 इस तरह कुल राशि रूपये 11^ए68^ए630^६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

34 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त
रतलाम 18 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 18 अप्रैल को प्रातः 27 व दोपहर में 7 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

18 अप्रैल सोमवार को झोन क्रमांक 1 में अजय.विनोदए बादल.दिलीपए विजय. फुलचन्दए झोन क्रमांक 2 में सुनील.ष्यामलालए ष्यामाबाई पति कन्हैयाए बबीताबाई पति कमलए लताबाई पति संजयए सुगनाबाई पति षंकरए उशाबाई पति मनोहरए महेन्द्र.नेहरूए रवि.सुरेषए जमनेष.बाबुए प्रदीप.रामप्रसादए संगीता.रमेषए दुर्गाबाई पति संजयए इन्द्राबाई पति दिनेषए अनिल.मांगीलालए मंजुबाई पति राजूए संगीता पति हरीषए राकेष.अषोकए संजय.षिवए झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र.रामचन्द्रए मुकेष. गोवर्धनए मीनाबाई पति मुकेषए झोन क्रमांक 4 में अनिताबाई पति अषोकए सुनीताबाई पति षिवए दोपहर की षिफ्ट में गंगाबाई पति राजारामए बबीताबाई पति मंगलए दीपक.अन्नीए अनिताबाई पति दीपकए यषोदाबाई पति सुरेषए झोन क्रमांक 3 में हेमलताबाई पति मुकेषए झोन क्रमांक 4 में रामकन्याबाई पति सोहन इस तरह 34 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 18 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 अप्रैल सोमवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मनोज जोषी व राज रतन पर 200.200ए कालू भाईए पवन चौरसियाए अंकित चौरसियाए षाहनवाज खानए चांद मोहम्मदए इकरार खानए जीवनए गंगाबाई व संतोश कुमार पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

रात्रिकालिन सफाई के 2 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 18 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 17 अप्रैल रविवार को निरीक्षण किये जाने पर महेश.प्रभुदयाल व रघु.कन्हैया द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 18 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रथमन कम्पाउडिंग 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 18 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 200 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टार, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 18 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 18 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्वजसंविण्हेमन्तध18ण04ण2022धनणपाणनिगमए रतलामण

